विधिक मामलें

(Legal Cases)

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण :

संसद द्वारा संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 323ए के अन्तर्गत 27 फरवरी 1985, को अधिकरण की स्थापना की गई। केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित इन अधिकरणों ने 02 अक्टूबर 1985 से अपना कार्य प्रारम्भ किया। (RBE 275/85)

धारा 323 (ए) में संसद को प्रशासनिक अधिकरण द्वारा भर्ती व लोक सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में या संघ या किसी स्तर पर पदो ंके सम्बन्ध में या भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में कोई स्थानिय या अन्य प्राधिकारी या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन या सरकार द्वारा शासित या नियंत्रित किसी निगम में विवाद एवं शिकायतों के निपटारे हेतु निर्णय एवं मुकदमा चलाने का कानूनी अधिकार प्रदत्त है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना पश्चात अन्य न्यायालयों में लम्बित न्यायिक मामले, जो सेवा से सम्बन्धित थे तथा अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आते थे, उन्हें अधिकरण में स्थानान्तरित कर दिया गया।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उद्देश्य :

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी भर्ती एवं सेवा शर्तों के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद व शिकायतों का शीध्र एवं सस्ता न्याय दिलाना।

इस अधिनियम के अधीन कौन शामिल है :

अखिल भारतीय सेवाओं के सभी कर्मचारी, संघ की लोक सेवाओं के सदस्य, संघ के अधीन सिविल पद धाक व्यक्ति, सुरक्षा से जुड़े पदो ंके धारक व्यक्ति अथवा रक्षा सेवा से जुड़े व्यक्ति।

इस अधिनियम में कौन शामिल नहीं है :

सशस्त सशस्त्र बल यथा थल, जल व वायु सेनाओं के सभी सदस्य, उच्चतम एवं न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के सचिवालयिक कर्मचारी, औद्योगिक विवाद अधिनियम से अधिशासित व्यक्ति।

केन्दीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन :

केन्दीय प्रशासनिक अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है जिसे मृख्य पीठ कहा जाता है तथा अन्य पीठ सम्पूर्ण भारत में, जहाँ उच्च न्यायालय की पीठ है, वहाँ स्थित है। मुख्य पीठ का प्रधान अध्यक्ष होता है (जो पदस्थ या अन्य न्यायाधीश होना चाहिये) तथा उसके चार सहायक सदस्य जिनमें से दो न्यायिक व दो प्रशासनिक सदस्य होते हैं। अधिकरण की अन्य पीठ /शाखाओं में उपाध्यक्ष प्रधान होता है तथा अन्य सदस्यों में से कम एक न्यायिक सदस्य होता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 65 वर्ष की उम्र में सेवनिवृत्त होते हैं, वहीं सदस्यगण 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं।

पीठ और क्षेत्राधिकार : (RBE 275/85, 72/86)

02 सितम्बर 1985 को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुख्य पीठ दिल्ली में स्थापित की गई तथा प्रारम्भ में 04 अन्य स्थानों पर सर्किट बैंच स्थापित की गई। इसके बाद सर्किट बैंचों की संख्या बढ़ाई गई। वर्तमान में भारतवर्ष में 17 सर्किट बैंच र्का कर रही है। बैंचों का उनके क्षेत्राधिकार के साथ विवरण निम्नांकित हैं :–

क्रस	बैंच	बैंच का क्षेत्राधिकार
1	मुख्य पीठ (नई दिल्ली)	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली
2	अहमदाबाद बैंच	गुजरात राज्य
3	इलाहाबाद बैंच	उत्तर प्रदेश राज्य, नीचे क्रमांक 04 में दर्शाये गये 12 जिलों को छोड़कर, जो लखनऊ बैंच के क्षेत्राधिकार में है।
4	लखनऊ बैंच	लखनऊ, हरदोई, खेड़ी, रायबरेली, सीतापुर उन्नाव, फैजाबाद, बहराईच, बाराबंकी, गोण्डा, प्रतापगढ़ और सुलतानपुर
5	बैंगलूर बैंच	कर्नाटक राज्य
6	कोलकाता बैंच	सिक्किम राज्य और पश्चिमी बंगाल तथा संघ शासित क्षेत्र अण्डमाल व निकोबाद द्वीप
7	चण्डीगढ़ बैंच	जम्मू व कश्मीर राज्य, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा संघ शासित क्षेत्र, चण्डीगढ़

8	कटक बैंच	उड़ीसा राज्य
9	एर्नाकुलम बैंच	केरल राज्य व संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप
10	गुवाहटी बैंच	असम, मणिपुर, मेघालय, नागालेण्ड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य
11	हैदराबाद बैंच	आन्ध्र प्रदेश राज्य
12	जबलपुर बैंच	मध्य प्रदेश राज्य
13	जोधपुर बैंच	राजस्थान राज्य क्रमांक 14 पर दर्शायें गये जिले, जो जयपुर बैंच के क्षेत्राधिकार के अधीन है को छोड़कर
14	जयपुर बैंच	अजमेर, अलवर, भरतपुर, बूंदी, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर एवं टोंक
15	मद्रास बैंच	तमिलनाडु राज्य व संघ शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी
16	मुम्बई बैंच	महाराष्ट्र व गोवा राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र दादरा व नगर हवेली
17	पटना बैंच	बिहार राज्य

अधिकरण की शक्तियाँ :

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकारण अधिनियम की धारा 22 के अधीन यह सभी न्यायालयों (धारा 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय को छोड़कर) को प्रदत्त शक्तियों के समान शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इसे इसकी अवमानना के सम्बन्ध में भी शक्तियाँ प्रदत्त है। यह भारतीय दण्ड संहित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, किन्तु सिविल न्यायालय की भाँति इसे गवाह को बुलाने, दस्तावेजों की जाँच, शपथ–पत्र पर साक्ष्य तथा इसके स्वयं के निर्णयों की पुनरीक्षा करने के समान अधिकार प्राप्त है।

अधिकरण की भाषा :

अधिकरण की भाषा अंग्रेजी है किन्तु यदि पार्टियों की इच्छा है तो वे अपने दस्तावेजों हिन्दी में प्रस्तुत कर सकती है। बैंच अपने विवेकाधिकार से कार्यवाही में हिन्दी प्रयोग करने की अनुमति दे सकती है, किन्तु अन्तिम निर्णय अंग्रेजी में ही होगा।

अवहेलना के लिए दण्ड देने के लिये अधिकरण की शक्तियाँ :

अधिनियम 1985 की धारा 17 के अन्तर्गत अधिकरण को उसके क्षेत्राधिकार में अवहेलना के सम्बन्ध वहीं शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रयोग करने की शक्तियाँ प्रदत्त है, जो न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 के तहत् उच्च न्यायालय को प्रदत्त है। आदेशों की पालना यदि समय सीमा हेतु निर्देश जारी न किये जाये तो, 06 माह में पूर्ण करना आवश्यक हैं अन्यथा अवमानना का वाद दायर किया जा सकता हैं।

अधिकरणों में आवेदन देना :

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की धारा 19 के अधीन अधिकरण के क्षेत्राधिकार में किसी मामलें के सम्बन्ध में जारी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति अपनी शिकायत के निस्तारण हेतु अधिकरण में आवेदन दें सकता है। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 20 के अधीन किसी व्यक्ति को उसकी शिकायतों के निस्तारण हेतु सेवा नियमों के अधीन उपलब्ध विभागीय सहायता लेनी होगी। प्राधिकरण सामान्यतयः किसी आवेदन को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाये कि कर्मचारी ने शिकायत के निवारण हेतु सेवा नियमों के अधीन उसको देय सभी सहायता प्राप्त कर ली हो। आवेदन छः सेट में मय फाईल साइज लिफाफे के जिस पर प्रतिवादी का नाम लिखा हो जमा कराया जायेगा यदि प्रतिवादी एक से ज्यादा हो तो प्रत्येक के लिये अलग से प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक आवेदन पर प्रस्तुत करने की तिथि अंकित की जायेगी, यदि आवेदन में कोई कमी पायी जायेगी तो रजिस्ट्रार उसे पूर्ण करायेगा तथा आवेदन पर लिखेगा कि आवेदन स्वीकार किया गया या नहीं।

रजिस्ट्रार के निर्णय के विरूद्ध अपील Presiding Officer को 15 दिन में कीजा सकती हैं व Presiding Officer का निर्णय अन्तिम होगा।

आवेदन फीस : आवेदन के साथ रजिस्ट्रार के पक्ष में 50/– DD /IPO भी जमा कराना होगा। आवेदन–पत्र डबल स्पेस में एक तरफ टाईप किया होना चाहिये।

आवेदन पर सुनवाई : प्राधिकरण द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु तिथि व स्थान हेतु नोटिस जारी कर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी, प्राधिकरण मौखिक पक्ष रखने हेतु दोनों पक्षों को अवसर देगा व सभी तथ्यों का दस्तावेजों के आधार पर अपना निर्णय देगा।

प्राधिकरण के प्रत्येक आदेशों पर सदस्यों के हस्ताक्षर व सील होगें।

आदेशों की सूचना : प्राधिकरण के आदेशों की सूचना दोनों पक्षों को रजिस्टर डाक द्वारा निःशुल्क भेजी जायेगी।

सीमायें : केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 21 के अधीन कोई व्यक्ति अधिकरण में प्रार्थना पत्र दायर कर सकता हैः–

i अन्तिम आदेश (जिसमें प्रार्थी पीड़ित है) जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर

ii विभाग को दिये गये अभ्यावेदन /अपील के निस्तारण के लिए छः माह इंतजार करने के बाद एक वर्ष के भीतर। एक वर्ष की सीमा अभ्यावेदन देने के छः माह तक उसके निस्तारण न होने के बाद शुरू होगी।

अंतरिम आदेशं : केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम की धारा 24 के तहत् निम्नलिखित शर्तों के आधार पर आवेदक को अंतरिम राहत प्रदान करने की शक्तियाँ प्रदत्त है :–

i इस प्रकार के अंतरिम आदेश के लिये आवेदन तथा तथ्य के पक्ष में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ उस पार्टी को देनी होगी जिसके विरूद्ध इस प्रकार आवेदन किया गया हो या प्रस्तावित हो, और

ii मामले के सुनवाई के किये पार्टी को मौका दिया गया है

अधिकरण उपर्युक्त आवश्यकताओं को हटा सकता है एवं विशेष मामलों में यदि वह दस्तावेजों में दर्ज लिखित कारणों से संतुष्ट हो तो अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।

पुनर्विचार याचिका :

अधिकरण को अपने फैसलों पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालयों को प्रदत्त अधिकारों की भाँति ही पुनर्विचार की शक्तियाँ प्रदत्त है। पुनर्विचार याचिका आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है। पुनर्विचार याचिका केवल तभी स्वीकार की जाती है जब निर्णय में कोई तथ्यात्मक भूल, प्रत्यक्ष गलती या गम्भीर चूक हुई हो। तथा इस मामले का निपटारा उसी बैंच द्वारा जिसने आदेश पारित किया है द्वारा या तो प्रसारण या पार्टियों की सुनवाई करने के बाद पारित किया जायेगा।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील :

जब व्यक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो वह केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले जिनसे वह पीड़ित है, के विरूद्ध सम्बन्धित उच्च न्यायालय की डिवीजनल बैंच में अपील कर सकता है। अपील के साथ उसे केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले के क्रियान्वयन को रोकने के लिए एक रोक याचिका भी दायर करनी होगी। यह अपील निर्धारित समय में करनी होगी। सामान्यतः यह आदेश पारित होने के तीन माह (90) दिन के अन्दर करनी होती है। (इससे पहले केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसलों के विरूद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती थी। किन्तु श्री एस.कुमार के मामलें में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अपील उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है)।

विशेष अनुमति याचिका : Special leave petition (SLP)

यह याचिका किसी व्यक्ति /प्रशासन, जो उच्च न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, के द्वाराउच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है। यह उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक के आवेदन के साथ दायर की जायेगी। रेलवे मे विशेष अनुमति याचिका दायर करने की शक्तियाँ रेलवे बोर्ड को प्रदत्त है। मण्डल के मण्डल अधिकारी द्वारा विशेष अनुमति याचिका का प्रस्ताव उनके मुख्यालय को अग्रेषित किया जायेगा तथा यदि मुख्यालय प्रस्ताव पर सहमत होगा तो वे विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए रेलवे बोर्ड जायेगें।

विभिन्न श्रमिक कल्याण अधिनियमों के अधीन न्यायालयीन मामलें:

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष सेवा मामलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायर मामलों के अलावा, रेलवे प्रशासन को कर्मचारियों द्वारा दायर अन्य मामलों पर भी जवाब देह रहना पड़ता है।

विभिन्न श्रमिक कल्याण अधिनियमों के अधीन विभिन्न न्यायालयों में मामलें दायर किये जाते हैं। जेसेः– रेल अधिनियम के अधीन रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत मामलें, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत मजदूरी के भुगतान से सम्बन्धित मामलें, कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत मामलें, रोजगार के दौरान कर्मचारी के घायर होने या मृत्यु हाने के मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत मामलें इत्यादि।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन मामलों को सहायक श्रम आयुक्त और सक्षम श्रमिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

<u>विभिन्न न्यायालय</u> :

निम्नलिखित विभिन्न न्यायालय है, जिनमें लम्बित मामलों पर रेलवे प्रशासन को बचाव करना पड़ता है :–

i उच्चतम न्यायालय
ii उच्च न्यायालय
iii केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
iv जिला एवं मुंसिफ न्यायालय
v रेल दावा अधिकरण
vi श्रम न्यायालय
vii पंचाट (पंच निर्णय)
viii सम्पत्ति अधिकारी न्यायालय
ix आयकर और बिक्रीकर प्राधिकारी
x वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण

<u>प्रक्रिया</u> :

किसी भी न्यायालय में नोटिस मिलने के बाद, मामले में प्रभावी रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है :–

i रेलवे वकील की नियुक्तिः यह कोर्ट के नोटिस के बाद संवर्ग अधिकारी द्वारा तुरन्त नियुक्त किया जायेगा
ii रेलवे के पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा रेलवे वकील को दिया जायेगा ताकि वह रेलवे के पक्ष में जिरह कर सकें।
iii रेलवे वकील द्वारा सम्बन्धित मामलें का लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराया जायेगा, ताकि न्यायालय मामलें के प्रत्युत्तर का प्रारूप तैयार किया जा सकें, इसे लिखित विवरणों में दिये गये सन्दर्भ से सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
iv रेलवे वकील द्वारा प्रारूपित प्रत्युत्तर प्राप्त होने के बाद प्रत्युत्तर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाँच कर हस्ताक्षर किये जायेगें। यही सुनिश्चित किया जायेगा कि न्यायालय मामलें का प्रत्युत्तर समय पर प्रस्तुत किया जाये जहाँ तक सम्भव हो यह पहली सुनवाई के समय ही प्रस्तुत हो जायें।

<u>श्रम प्रवर्तन अधिकारी</u> : (Labour enforcement Officer

श्रम प्रवर्तन अधिकारी की नियुक्ति क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, केन्द्रीय के अधीन की जाती है तथा यह सहायक श्रम आयुक्त, केन्द्रीय के दिशा निर्देशों के अधीन कार्य करता है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी की ड्यूटी व मुख्य कार्य उन स्थानों का निरीक्षण करना है, जहाँ श्रमिक नियोजित किये जाये हैं। वह श्रम आयुक्त की और से यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम के अधीन दी गई व्यवस्था के अनुसार जो श्रमिक भर्ती किये गये है या हटाये गये है, वे विभिन्न श्रमिक कानूनों व श्रम कानून के अंशों (PWA, MWA, HOER & I.D. Act.) व इनके अधीन दिये गये प्रावधानों के अनुसार है। निरीक्षण के दौरान उसके द्वारा देखी गई अनियमितताओं से सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचित किया जायेगा।

विभिन्न उच्च न्यायालयों और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की विभिन्न बैंचों के समक्ष सरकारी सलाहकार को देय फीस, का विवरण निम्नानुसार है। (मुम्बई और कोलकात्ता उच्च न्यायालय को छोड़कर) 10 जुलाई 2009 से प्रभावी :–

क्रस		कार्य का मद	संशोधित फीस
1	विभिन्न न्यायालयों में भारत के सहायक सॉलीसिटर जनरल और दिल्ली उच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार के स्थायी सलाहकार	सहचन फीस (Retainer Fee) विभिन्न उच्च न्यायालयों के सहायक सॉलीसीटर जनरल (मुम्बई व कोलकात्ता उच्च न्यायालय को छोड़कर) दिल्ली उच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार के स्थायी सलाहकार	3000/– रूपये प्रतिमाह
2	विभिन्न उच्च न्यायालयों में भारत के सहायक सॉलीसीटर जनरल दिल्ली उच्च न्यायालय में केन्द्रीय सरकार के स्थायी सलाहकार /विभिन्न उच्च न्यायालयों में केन्द्र सरकार के स्थायी सलाहकार /लीडर	1. संविधान की धारा 226 व 227 के अधीन सिविल और आपराधिक कानूनी याचिका, अवमानना याचिका, आपराधिक /सिविल संशोधित /सिविल संशोधित याचिका /बिक्रीकर अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय के सन्दर्भ तथा बैंकिंग कम्पनी याचिका।	प्रत्येक प्रभावी सुनवाई के लिये 1500 रूपये, प्रत्सेक गैर प्रभावी सुनवाई के लिये 300 रूपये (एक मामले में अधिकतम पाँच सुनवाई की शर्त पर)।
		2. सिविल और आपराधिक मामले में संविधान की धारा 132 व 133 के अधीन याचिका।	प्रत्येक प्रभावी सुनवाई के लिये 1500 रू (एक मामले में अधिकतम 3000 रू की शर्त पर)।
		3. मूलवाद, वाद में डिक्री से सिविल अपील, और दूसरी अपील व भूमि अधिग्रहण अपील में दूसरी सुनवाई सहित, संविधान की धारा 226 व 227 के अधीन (ड्राफ्टिंग फीस सहित) एल.पी.ए. को छोड़कर।	अतिरिक्त वैलोराम /अधिनियम फीस (एक मामले में अधिकतम 30,000 रू की शर्त पर)।
		4. कम्पनी याचिका	कोर्ट(कम्पनी) नियम1959 के परिशिष्ट (iii) में दिये गये नियमों द्वारा अधिशासित
		5. बहस का मसौदा /काउण्टर शपथ–पत्र रिटर्नस /कानूनी याचिका के उत्तर /अपील का आधार /उच्चतम न्यायालय को अपील की अनुमति के लिए आवेदन और अपील का आधार	प्रत्येक बहस के लिए 900 रूपये
		6. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन दायर याचिकाओं के विविध सिविल मसौदे तैयार करना, न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही तथा मूल प्रकृति की अन्य कार्यवार्ही	प्रत्येक याचिका के लिए 750 रूपये
		7. सिविल विविध याचिकायें, गरीबों के फार्म, स्थानान्तरण याचिकायें तथा अन्य दैनिक प्रकृति की सिविल विविध याचिकायें।	प्रत्येक याचिका के लिए 300 रूपये
		8. सलाह /सम्मेलन फीस	300 रूपये प्रति सम्मेलन (एक मामले में अधिकतम 04 सम्मेलन)।
		9. पंच निर्णय और सांत्वना अधिनियम 1996 की धारा 34 व 37 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करना।	प्रत्येक प्रभावी सुनवाई के लिये 1500 रूपये
		10. पंच /मध्यस्थ इत्यादि के समक्ष प्रस्तुति	प्रत्येक गैर प्रभावी सुनवाई के लिये 300 रूपये (एक मामले में अधिकतम 05 सुनवाई तक की शर्त पर)

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2007 /एलसी /17 /2 दिनांक 10.07.2009 केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में रेलवे के वकील को देय फीसः		
1	संविधान की धारा 226 व 227 के अधीन सिविल व क्रिमिनल कानूनी याचिका अथवा इस प्रकार की याचिका में दिये गये आदेशों के लिये विशेष अपील कानूनी याचिका पर सुनवाई यदि 03 दिन से अधिक चलती हो	प्रत्येक मामले में 2250 रूपये। प्रत्येक मामले में 375 रूपये प्रतिदिन किन्तु रिफ्रेशरफीस से अधिक नहीं
2	सिविल और क्रिमिनल मामलों में संविधान की धारा 132 और 133 के अधीन दायर याचिका	300 रूपये प्रति मामला
3	सिविल और क्रिमिनल संशोधित याचिका	1050 रूपये प्रति याचिका
4	सिविल विविध आवेदन अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन याचिका, अवमानना	750 रूपये प्रति मामला
5	बिक्रीकर अधिनियम और बैंकिंग कम्पनी याचिका के अधीन उच्च न्यायालय के सन्दर्भ	1050 रूपये प्रति मामला या न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि, जो भी अधिक हो
6	टाईटल डीड का परीक्षण	राशि का 2% या न्यूनतम 120 रूपये व अधिकतम 1200 रूपये
7	सिविल विविध याचिकायें	300 रूपये प्रति याचिका
8	लिखित अवधारणा	450 रूपये प्रति याचिका
9	मसौदा मुकदमें में बहस का लिखित विवरण और काउण्टर शपथ–पत्र /रिटर्नस –कानूनी याचिका के उत्तर	750 रूपये प्रति बहस
10	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1998 के अधीन अपील	1800 रूपये प्रति अपील
11	रेलवे के मुख्यालयों पर पंच निर्णय मामलों में उपस्थिति हेतु सलाहकार सुनवाई के पहले घण्टे में 240 रूपये प्रति घण्टा और अगले आधे घण्टे के लिए 120 रूपये किन्तु जब मामला उसका व्यक्तिगत कारण से अथवा उसे अग्रिम नोटिस देकर आगे किया गया हो तो कोई फीस देय नहीं होगी।	प्रधान कार्यालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय में केस दायर करने के लिये पहले दिन 750 रूपये तथा अगले दिनों के लिये 450 रूपये प्रतिदिन। मुख्यालय से बाहर– जब सलाहकार को रेलवे मुकदमें के सम्बन्ध में मुख्यालय से बाहर जाना पड़े तो वह दैनिक 1200 रूपये का हकदार होगा। यात्रा /होटल खर्च– वाहन प्रभार हेतु एक मुश्त रकम 300 रूपये और होटल के लिए अधिकतम 600 रूपये प्रतिदिन या वास्तविक खर्च।

Formate of form (1) & (2) (Page 298 to 300 RBO 289/85)

CONSTITUTIONAL PROVISION OF D&AR

भारतीय संविधान में कार्यरत, कर्मचारियों के मूल अधिकारों से सम्बन्धित प्रमुख धारायें अनुच्छेद 14, 15, 16 व 21 है। इसी प्रकार सवंधिान की धारा 311 किसी संघ या राज्य के सेवक के बर्खास्तगी या पदच्यूति के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करती है धारा 309 व 310 के अन्तर्गत राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सेवाओं को शासित करने के नियम बना सकते है।

अनुशासन व अपील नियमों के तहत रेल कर्मचारी पर कार्यवाही के दौरान भी सभी कर्मचारियों को संवैधानिक अधिकारों के तहत अपने बचाव का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है।

A ARTICLE 14 समानान्तर का अधिकार

इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता का अधिकार है न्याय के समक्ष सभी समान है एक ही परिस्थिति के आरोपियों के लिए पृथक–पृथक न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती अतः कर्मचारी उन सभी सुविधाओं की वैधानिक माँग कर सकता है जो समान परिस्थितियों में अन्य लोगों को प्राप्त है।

B ARTICLE 15 धर्म जाति लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक

किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, वर्ण, लिंग जन्मस्थान के आधार पर नौकरी पाने या जीविकोपार्जन के मामले में भेदभाव नहीं किया जायेगा। सभी व्यक्तियों के जो सम्बन्धित शर्तें पूर्ण करते हो, को नोकरी का अवसर प्राप्त करने का समान अधिकार है।

परन्तु सरकार चाहे तो महिलाआं एवं बच्चों के विकास के लिए विशेष नियम बना सकती है तथा संविधान की धारा 21 की उपधारा (2) के तहत सामाजिक रूप से पिछली जातियों अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिये विशेष प्रावधान करना चाहती है तो धारा 15 बाधक नहीं होगी।

C ARTICLE 16 सरकार नौकरी पाने में समानता

1 सरकारी नौकरी एवं नियोजन के लिए सभी निगरिकों को समान्नता का अधिकार प्राप्त होगें।
2 सरकारी पद अथवा नौकरी के मामले में केवल धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा।
3 परन्तु इस अनुच्छेद का कोई भी प्रावधान संसद के द्वारा किसी जाति विशेष अथवा स्थान विशेष के आधार पर भारत सरकार के अधीनस्थ पदों और नौकरियों को सुरक्षित रखने मे यह नियम बाधक नहीं होगा।
4 परन्तु यदि सरकार के विचार में राज्य के किसी पिछड़े वर्ग के सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो वह उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये विशेष नियम बना सकती है।
5 किसी धार्मिक संस्थान के अधीन किसी पद अथवा संचालन के पद को विशेष धर्म को मानने वाले के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।

भारतीय संविधान एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करता है जहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों के आधार पर सभी को समानता का अधिकार प्रदान करता है वही जाति विशेष या आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों के उत्थान के लिये विशेष प्रावधान भी किया है।

D ARTICLE 311

यह प्रावधान सरकारी नौकरियों में सेवा के संरक्षण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है जो किसी प्राईवेट नौकरी में नहीं है। सरकारी पद पर नियुक्त किसी भी कर्मचारी को बिना एक निर्धारित प्रक्रिया अपनायें नौकरी से अलग नहीं किया जा सकता है।

1 किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके नियुक्त करने वाले अधिकारी (Appoienting Authority) से कम पद के अधिकारी के द्वारा बर्खास्त अथवा पदच्यूत नहीं किया जा सकता है।
2 किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त, पदच्यूत अथवा पदावन्नत नहीं किया जा सकता जब तक उसे अपना पक्ष रखने का युक्ति संगत अवसर (Resonable Opportunity) नहीं दी जाये
परन्तु यदि कर्मचारी के विरूद्ध की गई जाँच के आधार पर इसे उपरोक्त में से कोई दण्ड देने का निर्णय लिया गया हो तो ऐसा दण्ड देने से पूर्व प्रस्तावित दण्ड की सूचना देना अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना आवश्यक नहीं है।

निम्न परिस्थितियों में धारा 311 का प्रभाव नहीं पड़ेगा D&AR (नियम 14)

14.1 जब रेल सेवक ने ऐसा कार्य किया हो जिसके कारण उसे न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो।
14.11 जब अनुशासनिक अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो कि इन कारणों से जिनका उल्लेख किया गया है इन नियमों के अन्तर्गत जाँच कार्यवाही करना युक्ति संगत नहीं है अर्थात् जाँच करना सम्भव नहीं।
14.111 जब राष्ट्रपति इस बात से सन्तुष्ट हो कि राज्य की सुरक्षा के हित में इन नियमों के अन्तर्गत जाँच करना उचित नहीं है। यदि कभी यह प्रश्न उठता हे कि उपनियम (2) के अन्तर्गत जाँच करना तर्क

संगत तरीके से सम्भव है अथवा नहीं तो दण्ड देने हेतु अधिकृत अधिकारी की सन्तुष्टि अन्तिम मानी जायेगी।